राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1594 / 2025

नवल किशोर शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सहायक अभियंता, उपखण्ड सिकराय, खण्ड सिकन्दरा, जिला दौसा।
4. विनेश कुमार बैरवा, कनिष्ठ अभियंता, आर.एस.आर.डी.सी., यूनिट नागौर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 28.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड सिकराय, खण्ड सिकन्दरा, दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष दिसम्बर, 2022 के द्वारा कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी, जिसके अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 05.12.2022 को कार्यग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपखण्ड प्रथम धौलपुर, खण्ड धौलपुर में रिक्त पद पर किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 जो कि राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का कार्मिक है, का प्रतिनियुक्ति पर स्वयं की इच्छा पर अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.12.2024 को परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लिया है तथा अपीलार्थी का नियमितिकरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी अभी फिक्स वेतन पर ही कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। जो मनमाना एवं पक्षपाती पूर्ण है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 4 की सीमा तक निरस्त किया जाकर अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड

सिकराय, खण्ड सिकन्दरा, दौसा में ही पदस्थापित रखे जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता के पद पर उपखण्ड सिकराय, खण्ड सिकन्दरा, दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष दिसम्बर, 2022 में कनिष्ठ अभियंता के पद पर हुई थी। अपीलार्थी की परीवीक्षाकाल अवधि दिनांक 05.12.2024 पूर्ण हो गई है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपखण्ड प्रथम धौलपुर, खण्ड धौलपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में नियमानुसार स्थानान्तरण किया गया है। किसी भी कार्मिक को किसी एक स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को लाभ प्रदान करना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)